संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य एवं कर्तव्य

2.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य

ज्ञानं चेतनायाम् निहितम् इस वेदवाक्य के अनुसार "ज्ञान व्यक्ति की चेतना में निहित होता है" और सा विद्या या मुक्तये के अनुसार विद्या व्यक्ति को इसी ज्ञान के माध्यम से मुक्त कर उसे समष्टि में प्रकाशित करती है। स्वामी विवेकानन्द का विचार है– व्यक्ति के अन्दर निहित पूर्णता का उद्घाटन ही शिक्षा है। इस प्रकार से शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के शरीर मन एवं आत्मा के सर्वोत्कृष्ट रूप को प्रस्फुटित कर दे। "शिक्षा" के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी के Education शब्द का भी यही अर्थ है। शिक्षा संस्कृत की 'शिक्ष' धातु से बना है 'जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना' और शिक्षा शास्त्र इसी मान्यता पर आधारित है।

यद्यपि व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त सीखने–सिखाने की इस प्रक्रिया में निरन्तर संलग्न रहता है तथापि प्रत्येक देश अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक व आर्थिक आवशयकताओं के अनुरूप अपने नागरिकों के लिए विशेष प्रकार के ज्ञान को सीखने–सिखाने की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है और इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक सुनिश्चित संस्था का निर्माण करता है। इसी औपचारिक शिक्षा पद्धति को विद्यालयी शिक्षा अथवा School Education कहा जाता है। स्पष्ट है कि लोक प्राधिकरण विद्यालयी शिक्षा का उद्देश्य है– 'व्यक्ति"का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के मुख्य उद्देश्यों को निम्नवत परिभाषित किया जा सकता है–

1. 21वीं शताब्दी में शिक्षा विकास का पर्याय।
2. शिक्षा के प्रसार और विस्तार में सरकार की प्रमुख भूमिका।
3. शिक्षा को सामान्य जन से जोड़ने, शिक्षा प्रदान करने के उत्तरदायित्व में सहभागी बनने तथा संवैधानिक प्रतिबद्धताओं को अंजाम देने हेतु शिक्षा प्रसार में समाज की साझेदारी बढ़ाना।
4. शिक्षा की व्यवस्था, प्रक्रिया और प्रबन्धन में विकेन्द्रीकरण कर पूरी व्यवस्था को नये रूप में ढालना।
5. शैक्षिक प्रौद्योगिकी और सूचना तकनीकी में छात्र–छात्राओं को कुशल बनाना।
6. इस जनशक्ति को कुशल जनशक्ति के रूप में विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में श्रम के प्रति सम्मान की भावना जगाते हुए उनमें उद्यमिता का विकास कर स्वावलम्बन और स्वरोजगार की ओर उन्मुख करना।
7. मूल्यों के विकास पर विशेष बल देना।
8. समग्र रूप से 6–14 वयवर्ग के बच्चों को सार्वभौम, अनिवार्य, निःशुल्क और गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध कराना।
9. विज्ञान/तकनीकी/व्यावसायिक तथा कौशलात्मक माध्यमिक शिक्षा प्रदान करना।
10. शैक्षिक अवसरों की समानता
11. प्रारम्भिक शिक्षा की सर्वसुलभता
12. विद्यालयी शिक्षा का विस्तार/प्रसार
13. शिक्षक की गरिमा का संवर्द्धन
14. शिक्षा की गुणवत्ता का सुनिश्चयन
15. शैक्षिक प्रशासन और प्रबन्धन
16. शिक्षा परक संसाधनों की उपलब्धता

2.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/विजन

उत्तरांचल राज्य को एक आदर्श राज्य बनाने की दिशा में शैक्षिक उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी जनशक्ति के विकास, कला और संस्कृति की समृद्धि, विज्ञान और तकनीकी की नवीनतम उपलब्धियों की वृद्धि और व्यक्ति, विशेषकर विद्यार्थियों के सर्वांगीर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए समुचित शिक्षा व्यवस्था एवं प्रशिक्षण द्वारा मानव मूल्यों को आत्मसात करते हुए उनमें स्वस्थ जीवन जीने तथा रोजगार के लिए कौशल का विकास और इस हेतु संसाधनों के साथ ही साथ प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से शैक्षिक गुणवत्ता और अनुसंधान के लिए उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रों का विकास करने की दृष्टि है। यह भी दृष्टि है कि समाज के सबसे कमजोर बच्चे को भी ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था करना कि उस बच्चे तक शिक्षा की ज्योति पहुंचे तथा उसे जीवन में सर्वोत्तम उपलब्धियां प्राप्त करने का अवसर मिले।

2.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग

1698 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा कम्पनी व उसके कर्मचारियों के खर्च से अंग्रेजों, ऐग्लों इडियनों, ईसाईयों तथा कम्पनी के कर्मचारियों के लिए मद्रास व बम्बई में कुछ चैरिटी स्कूल खोले गये थे, जिनमें ईसाई धर्म के साथ–साथ पढ़ना लिखना व गणित सिखाया जाता था। 1833 में ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में यह प्रस्ताव पास हुआ कि कम्पनी की सरकार भारतवासियों की शिक्षा में रूचि ले और इस कार्य के लिए धन खर्च करे। उक्त आज्ञा पत्र के अनुसार भारत में राज्य शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात हुआ और देश में राजकीय तथा व्यक्तिगत/निजी दोनों प्रकार के शिक्षा संगठनों का बीजारोपण होने से आधुनिक शिक्षा का एक व्यवस्थित रूप भी आरम्भ हो गया।

1835 में मैकाले के विवरण पत्र के साथ ही मैकाले की शिक्षा पद्धति पर आधारित स्कूली शिक्षा ने प्रसार पाया। 19 जुलाई, 1854 में कम्पनी द्वारा सर चार्ल्सवुड के नियंत्रण में स्थापित भारतीय शिक्षा बोर्ड में भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की गयी। 1882 में स्थापित हण्टर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिक शिक्षा के साथ–साथ माध्यमिक शिक्षा के संचालन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गयी।

19 मार्च, 1910 में श्री गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा केन्द्रीय धारा सभा के सदस्य के रूप में सरकार के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया। गोखले विधेयक 1911 के नाम से प्रसिद्ध इस विधेयक ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था में नवीन क्रान्ति पैदा कर दी। अब सरकार के लिए आवश्यक हो गया कि वह शिक्षा पर फिर से विचार करे। परिणाम स्वरूप 1921 में केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गयी और 1927 में साइमन कमीसन के आगमन के साथ ही भारत में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की भी पहल की गयी।

1935 में भारत सरकार अधिनियम के आधार पर 1937 से प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के साथ अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन अथवा वर्धा सम्मेलन में गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा प्रकाश में आयी। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद 1944 में सार्जेन्ट समिति ने अपनी जो

रिपोर्ट केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार समिति को सौंपी उसे वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की नीव कहा जा सकता है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त राधाकृष्ण समिति तथा मुदालियर कमीशन ने पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था के अध्ययन और परीक्षण के आधार पर 29 अगस्त, 1953 को माध्यमिक/उच्च शिक्षा के संबंध में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। 1964 में कोठारी आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्यों से जोड़ते हुए अध्यापक प्रशिक्षण और त्रिभाश सूत्र का प्रस्ताव रखा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को वस्तुतः भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रान्तिकारी कदम कहा जा सकता है, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर साक्षरता, उच्च शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय, तकनीकि तथा प्रबन्ध शिक्षा, अनुसंधान विकास, मूल्यांकन प्रणाली तथा शिक्षा के अभिनवीकरण तक प्रत्येक पहलू पर ठोस कार्यकारी सुझाव प्रस्तुत किये गये। 1992 में इसे पुर्नसंशोधित किया गया और इसमें प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, नवोदय विद्यालय, मूल्यांकन एवं परीक्षण सुधार जैसे महत्वपूर्ण घटकों को जोड़ा गया। इसी राष्ट्रीय नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित शैक्षिक ढाँचे के अन्तर्गत सभी कार्य योजनाओं को क्रियान्वित किया गया। अभिभाजित उत्तरांचल में उत्तर प्रदेश की यही शिक्षा व्यवस्था संचालित थी।

09 नवम्बर, 2000 को उत्तरांचल राज्य गठन के पश्चात अपर शिक्षा निदेशक, पर्वतीय के निर्देशन में देहरादून में शिक्षा विभाग का मुख्यालय स्थापित किया गया ।

शासनादेश संख्या 713/माध्यमिक/2003, दिनांक 05 सितम्बर 2003 के द्वारा बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण करते हुए संगठनात्मक स्वरूप निर्धारित किया गया, जिसके द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश की शिक्षा के नियोजन, संचालन, नियंत्रण, पर्यवेक्षण, निरीक्षण, प्रबन्धन एवं अनुश्रवण तथा विभिन्न घटकों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए मुख्यालय स्तर पर की स्थापना की गयी, जिसका विभागाध्यक्ष निदेशक, विद्यालयी शिक्षा है।

2.4 संगठन की विशिष्टियाँ

विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तरांचल में कक्षा 1 से 12 तक की व्यवस्था हेतु एक संगठन है। राजकीय प्राथमिक,उच्च प्राथमिक ,हाईस्कूल,इण्टरमीडिएट कालेज सहायता प्राप्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक,हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज सीधे इस संगठन के नियंत्रणाधीन है। मान्यता प्राप्त विद्यालय को केवल विभाग द्वारा एक नियम के तहत मान्यता प्रदान की जाती है तथा आंग्ल भाषा वाले विद्यालय (ICSE एवं CBSE बोर्ड) को राज्य द्वारा संगठन की अनुशंसा पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के पश्चात् ही विद्यालय संचालन की अनुमति होती है।

उत्तरांचल में विद्यालयी शिक्षा विभाग लगभग 1 लाख कार्मिकों वाला सबसे बडा विभाग है। इसका कार्य क्षेत्र समस्त उत्तरांचल हैं संगठन का मुख्यालय मयूर विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून है। संगठन के मुखिया, शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तरांचल है। इसके दो अनुशांगिक संगठन है (1) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (2) उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद। मण्डल स्तर पर गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में शिक्षा व्यवस्था के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए अपर शिक्षा निदेशक के कार्यालय स्थापित है, जनपद स्तर पर

जिला शिक्षा अधिकारी, अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), अपर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक ब्लाक स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उपखण्ड शिक्षा अधिकारी एवं संकुल स्तर पर क्षेत्र शिक्षाधिकारी तैनात हैं।

1 वर्तमान में प्रदेश में 12493 राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 3014 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 1168 राजकीय हाईस्कूल तथा 1004 राजकीय इण्टर कालेज संचालित है। इन विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाओं में लगभग 22 लाख 26 हजार बच्चे अध्यनरत हैं । प्राथमिक शिक्षा हेतु राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 25914 पद स्वीकृत हैं जिनके सापेक्ष 22242 अध्यापक कार्यरत हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 13313 पद स्वीकृत हैं जिनके सापेक्ष 11587 अध्यापक कार्यरत हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य सहित लगभग 28602 शिक्षकों के पद स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 22596 शिक्षक कार्यरत हैं।

2. वर्तमान में बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा की व्यवस्था बेसिक शिक्षा के माध्यम से संचालित की जाती है ।

लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढांचा विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तरांचल में कक्षा 01 से 12 तक की शिक्षा व्यवस्था हेतु एक संगठन है। राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सहायता प्राप्त, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज सीधे इस संगठन के नियंत्रणाधीन है। उत्तरांचल में विद्यालयी शिक्षा विभाग लगभग 1 लाख कार्मिकों वाला सबसे बड़ा विभाग है। इसके दो अनुशांगिक संगठन है (1) राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (2) उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद। मण्डल स्तर पर गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल में शिक्षा व्यवस्था के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए अपर शिक्षा निदेशक के कार्यालय स्थापित हैं, जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी, अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) तथा ब्लाक स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप खण्ड शिक्षा अधिकारी तैनात हैं। नवीन शिक्षा व्यवस्था का ढांचा निम्नवत है–

संख्याः 142/XXiV 2/11 6(5)/2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षाअनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 14 जून 2011

विषयः– विद्यालयी शिक्षा विभाग के ढांचे का पुनर्गठन।

महोदय,

शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार हेतु वर्तमान प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा की एकीकृत व्यवस्था के स्थान पर पृथक–पृथक प्रशासनिक एवं अकादमिक व्यवस्थागत इकाई स्थापित किया जाना आवश्यक हो गया है। इसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, मण्डल, जिला एवं विकास खण्ड स्तर पर पृथक–पृथक इकाई का गठन किया जाना, शिक्षकों एवं अधिकारियों के संकाय विकास व शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन हेतु राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद एवं राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ करने तथा प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के प्रभावी शिक्षण हेतु पृथक–पृथक निदेशकों के अधीन संचालित किया जाऐगा। इसके साथ ही तीनों निदेशकों, निदेशक, (प्रारम्भिक शिक्षा), निदेशक (मा0 शिक्षा) निदेशक,(अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण) के मध्य समन्वय स्थापित करने एवं इनको एक छत्र के अन्तर्गत सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित करने हेतु एक महानिदेशक होंगे। उक्त तीनों निदेशालयों एवं महानिदेशालय के मुख्यालय देहरादून में रहेंगे। अतः प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को एकीकृत कर संघठनात्मक स्वरूप के निर्धारण संबंधी शासनादेश सं0 713/माध्यमिक/2003 दिनांक 05 सितम्बर 2003 को अधिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उक्त महानिदेशालय, तीनों निदेशालयों, मण्डल स्तरीय, जनपद स्तरीय, विकास खण्ड स्तरीय, एस0सी0ई0आर0टी0, सीमेट तथा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद को निम्नवत पुनर्गठन किये जाने के सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2–1 महानिदेशालय (विद्यालयी शिक्षा)

महानिदेशक के सहयोग हेतु विद्यालयी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक संवर्ग का एक अपर निदेशक, एक संयुक्त निदेशक, एक उप निदेशक तथा एक उप शिक्षा अधिकारी स्तर के अधिकारी होंगे, जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र0स.	पदनाम	संख्या	वेतन बैण्ड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा	–	पदेन राज्य परियोजना निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संवर्गीय वेतनमान	आई0ए0एस0 संवर्ग का अधिकारी

2	अपर निदेशक	01	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0 8900	वर्तमान में उपलब्ध मंडल स्तरीय संयुक्त निदेशक द्वितीय के पद के स्थानान्तरण/समायोजन के फलस्वरूप अपर निदेशक, महानिदेशालय अपर राज्य परियोजना निदेशक, रा0मा0शि0अ0 के दायित्वों का निर्वहन भी करेगा।
3	संयुक्त निदेशक	01	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0 8700	वर्तमान में मण्डल स्तर पर उपलब्ध संयुक्त निदेशक, द्वितीय के पद के स्थानान्तरण/समायोजन के फलस्वरूप
4	उप निदेशक	01	रू0 15,600–39,00 ग्रेड पे रू0 7600	वर्तमान में उपलब्ध डायट के उप प्राचार्य के पद के स्थानान्तरण/समायोजन के फलस्वरूप
5	एम0आई0ए स0 अधिकारी	01	रू0 15,600–39,00 ग्रेड पे रू0 6600	नव सृजित/निःसंवर्गीय पद जिस पर प्रतिनियुक्ति अथवा आउट सोर्सिंग से भर्ती की जायेगी।

2(i)– निदेशालय (प्रारम्भिक शिक्षा)–

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासनिक पदों का विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	पदनाम	संख्या	वेतन बैण्ड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा	01	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0 10,000	उप प्राचार्य डायट के वर्तमान में उपलब्ध पद के उच्चीकरण/स्थानान्तरण एवं समायोजन के फलस्वरूप
2	अपर निदेशक	01	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0 8900	उप प्राचार्य डायट के वर्तमान में उपलब्ध पद के उच्चीकरण/स्थानान्तरण एवं समायोजन के फलस्वरूप तथा अपर निदेशक,(प्रा0शि0) अपर राज्य परियोजना निदेशक ii के रूप में सर्व शिक्षा अभियान का कार्य भी करेंगे।
3	संयुक्त निदेशक	02 + 1=3	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0 8700	एक पद संयुक्त निदेशक मध्याहन भोजन योजना का यथावत जो एस0पी0डी0 के नियंत्रणाधीन प्रकोष्ठ एम0डी0एम0 का कार्य करेगा तथा दो पद उप प्राचार्य डायट के वर्तमान में उपलब्ध पद के प्राचार्य डायट के वर्तमान में उपलब्ध पद के उच्चीकरण/स्थानान्तरण एवं समायोजन के फलस्वरूप
4	उप निदेशक	04	रू0 15,600–39,00 ग्रेड पे रू0 7600	वर्तमान में उपलब्ध डायट के उप प्राचार्य के पद के स्थानान्तरण/समायोजन के फलस्वरूप

5	विधि अधिकारी	01	रू0 15,600–39,00 ग्रेड पे रू0 5400	वर्तमान में उपलब्ध विद्यालयी शिक्षा के सृजित पद के स्थानान्तरण/समायोजन से उपलब्ध
6	उप शिक्षा अधिकारी/ स्टाफ आफीसर	01	रू0 15,600–39,00 ग्रेड पे रू0 5400	विद्यालयी शिक्षा में उपलब्ध पदो के समायोजन के फलस्वरूप

अपर निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा अपर राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान ii के रूप में निदेशालय बेसिक एवं एस0पी0ओ0 के कार्यों में समन्वय भी करेंगे। प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय में दोनों संयुक्त निदेशकों के मध्य मानव संसाधन, प्रशासन एवं अर्थ/नियोजन/प्रोक्योरमेंट अकादमिक अनुश्रवण, विधि एवं अन्य विविध कार्यों का आवंटन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तथा लेखा संवर्ग कार्मिकों का बंटवारा वर्तमान में उपलब्ध विद्यालयी शिक्षा निदेशालय के पदों से कार्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान निदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा किया जाएगा।

2(ii) मण्डल स्तर–

मण्डल स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था के प्रशासनिक, अकादमिक एवं वित्तीय संचालन हेतु निम्न अधिकारी होंगे :–

क्र0सं0	पदनाम	संख्या	वेतन बैण्ड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	मण्डलीय अपर निदेशक, (बेसिक)	02	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0 8900	वर्तमान में उपलब्ध दो संयुक्त निदेशक प्रथम के पदो के उच्चीकरण से समायोजन द्वारा

वर्तमान में दोनों मण्डलों में संयुक्त निदेशक, प्रथम के पदों को उच्चीकृत कर मण्डलीय अपर निदेशक, बेसिक (गढ़वाल/कुमायूँ) किया गया है। शिक्षणेत्र कर्मचारियों को बंटवारा वर्तमान में उपलब्ध मण्डलीय अपर निदेशक के कार्यालय से कार्य को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा।

लेखा संवर्ग

मण्डल स्तर पर लेखा संबंधी कार्य विद्यालयी शिक्षा के अधिकारी/कार्मिकों द्वारा संपादित किया जायेगा।

2 (iii) जिला स्तर :

जनपद स्तर पर प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था निम्नवत् होगीः–

क्र0सं0	पदनाम	संख्या	वेतन बैण्ड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रांरभिक शिक्षा)	13	रू0–15,600–39,100 ग्रेड पेरू0–7600	वर्तमान में अपर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक क उपलब्ध पदों से

वर्तमान में जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध शिक्षणेतर कर्मचारियों एवं लेखा कार्मिकों का बंटवारा कार्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान निदेशक, विद्यालयी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

2 (iv)

विकासखण्ड स्तर :

विकासखण्ड स्तर पर वर्तमान में उपलबध एक उपखण्ड शिक्षा अधिकारी वेतनमान 9300–34800 ग्रेड पे 4200/– के पदों को ग्रेड पे 5400/– के पद में उच्चीकरण किया गया है। यह अधिकारी प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों का नियंन्त्रक अधिकारी होगा। इनका संशोधित पदनाम उप शिक्षा अधिकारी (प्रारंम्भिक शिक्षा) है। यह पद समूह 'ख' के प्रशासनिक संवर्ग के सीधी भर्ती का पोषक पद है, जो लोक सेवा आयोग की परिधि का पद है। उपखण्ड शिक्षा अधिकारी पद मृत संवर्ग हो गया है। वर्तमान में कार्यरत उपखण्ड शिक्षा अधिकारियों का समायोजन समान वेतनमान के पदों यथा शोध अधिकारी, प्रवक्ता अथवा अन्य पदों पर अर्ह योग्यतानुसार किया जायेगा।

क्र0सं0	पदनाम	संख्या	वेतन बैण्ड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	उपशिक्षा अधिकारी (प्रांम्भिक शिक्षा)	95	रू0–15,600–39,100 ग्रेड पे रू0–5400/	वर्तमान में उपलब्ध उप खण्ड शिक्षा अधिकारियों के पदो के उच्चीकरण एवं समायोजन के फलस्वरूप

उप शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान का खण्ड परियोजना अधिकारी के कर्त्तव्यों का निवर्हन करेगा। विकासखण्ड स्तर पर प्रारभिक शिक्षा का संचालन उप शिक्षा अधिकारी द्वारा खण्ड अधिकारी के नियंत्रण में किया जायेगा।

3 (i) निदेशालय (माध्यमिक शिक्षा)

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में वर्तमान निदेशक (विद्यालयी शिक्षा) का पद नाम निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) संशोधित किया जा रहा है। निदेशालय (माध्यमिक शिक्षा) उत्तराखण्ड के पदों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0सं0	पदनाम	संख्या	वेतन बैण्ड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	निदेशक (मा0शि0)	01	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0–10,000	वर्तमान में उपलब्ध निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के पद नाम संशोधन के फलस्वरूप
2.	अपर निदेशक	01	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0– 8900	निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)अपर राज्य परियोजना निदेशक, रा0मा0शि0अ0II के रूप में कार्य करेगें।
3.	संयुक्त निदेशक	02	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0 8700	वर्तमान में उपलब्ध पद
4.	उप निदेशक	07	रू0–15,600–39,100 ग्रेड पेरू0–7600	तदैव
5	विधि अधिकारी	01	रू0–15,600–39,100 ग्रेड पेरू0–6600	वर्तमान में उपलब्ध उपप्राचार्य डायट के पद के स्थानान्तरण/समायोजन के फलस्वरूप। यह निदेशालय माध्यमिक के अतिरिक्त महानिदेशालय एवं निदेशालय, अकादमिक का विधि संबंधी कार्य भी करेंगे।
6	उप शिक्षा अधिकारी/स्टाफ आफीसर	01	रू0–15,600–39,100 ग्रेड पे रू0–5400/	वर्तमान में उपलब्ध स्टाफ आफीसर के पदनाम संशोधन के फलस्वरूप

अपर निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा) अपर राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वितीय के रूप में समन्वय का कार्य भी करेंगे।

3(ii) मण्डल स्तर

क्र. सं.	पदनाम	संख्या	वेतन बैण्ड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	मण्डलीय अपर निदेशक(मा0शि0)	02(गढ़वाल एवं कुमाऊं)	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0– 8900	मण्डल स्तर पर वर्तमान में उपलब्ध अपर निदेशक के पदो के फलस्वरूप
2	विधि अधिकारी	02(गढ़वाल एवं कुमाऊं)	रू0–15,600–39,100 ग्रेड पे रू0–5400/	मण्डल स्तर पर वर्तमान में उपलब्ध विधि अधिकारी के पद। विधि अधिकारी मण्डल स्तर पर प्रारम्भिक शिक्षा के विधि संबंधी कार्यों का

				सम्पादन भी करेगा।

3(iii) जनपद स्तर

क्र0सं0	पदनाम	संख्या	वेतन बैण्ड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	मुख्य शिक्षा अधिकारी	13	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0 8700	वर्तमान में उपलब्ध जिला शिक्षा अधिकारी के पदनाम संशोधन के फलस्वरूप
2	जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)	13	रू0–15,600–39,100 ग्रेड पेरू0–7600	वर्तमान में उपलब्ध अपर जिला शिक्षा अधिकारी(मा0) के पदनाम संशोधन के फलस्वरूप

3(iv) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद माध्यमिक शिक्षा का अभिन्न अंग है। परिषद का सभापति पदेन निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) होगा तथा वर्तमान में उपलब्ध पद ही रहेंगे, जिनका विवरण निम्नवत है।

क्र0सं0	पदनाम	संख्या	वेतन बैण्ड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	सचिव (अपर निदेशक स्तर)	01	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0– 8900	वर्तमान में उपलब्ध पद
2	अपर सचिव (संयुक्त निदेशक स्तर)	02	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0 8700	वर्तमान में उपलब्ध अपर सचिव एक तथा संयुक्त निदेशक एक पद द्वारा
03	संयुक्त सचिव (उप निदेशक स्तर)	02	रू0–15,600–39,100 ग्रेड पेरू0–7600	वर्तमान में उपलब्ध पद।
04	उप सचिव (समूह ख स्तरीय)	01	रू0–15,600–39,100 ग्रेड पेरू0–6600	वर्तमान में उपलब्ध पद।

4(i) निदेशालय, (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण)

वर्तमान में प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत होने वाले अकादमिक कार्यों जैसे पाठ्य पुस्तक विकास, मुद्रण एवं प्रकाशन, शोध एवं मूल्यांकन, प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास, शैक्षिक तकनीकी, सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन, ब्रिज कोर्स निर्माण, विशिष्ट एवं नवाचारी शिक्षा आदि कार्यों का सम्पादन राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाता है। इसके अधीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिले स्तर पर अकादमिक एवं सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सम्पादन करते हैं। इनके निदेशक के दायित्वों का निर्वहन वर्तमान में विद्यालयी संस्थान (सीमेट) संचालित है। जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं अन्य प्रशासनिक अभिकर्मियों को प्रबन्धन, शैक्षणिक नियोजन, नवाचारों आदि के सम्बन्ध में सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करता है। संस्थान का निदेशक राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान पदेन है।

प्रशिक्षण के सभी संस्थानों यथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0), राज्य शैक्षिक प्रबन्ध एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेट) एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को एक ही अकादमिक छत्र के नीचे लाये जाने हेतु प्रशिक्षण से जुडे सभी संस्थानों के विभागाध्यक्ष के रू॰ में एक निदेशक, (अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण) का पद सृजित किया जा रहा है। जिससे प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के अकादमिक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सम्बन्धी कार्यों में समन्वय स्थापित हो सके तथा गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके।

निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण का यह पद राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0) के एक संयुक्त निदेशक के पद के उच्चीकरण से सृजित किया गया है। विवरण निम्नवत है–

क्र0सं0	पदनाम	संख्या	वेतन बैण्ड/ग्रेड पे	अभ्युक्ति
1	निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण	01	रू0 37,400–67,000 ग्रेड पे रू0 10000	वर्तमान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एस0सी0ई0आर0टी0) में उपलब्ध 04 संयुक्त निदेशक के पदों में से 01 पद को उच्चीकृत/स्थानान्तरित करते हुए सृजित किया गया
4(ii)	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड के सृजित पदों का विवरण निम्नवत् है–			
क्र0सं0	पदनाम	संख्या	वेतन बैड/ग्रैड पे	अभ्युक्ति
1.	अपर निदेशक	01	रू0 37,400 67,000 ग्रेड पे रू0 8900/	वर्तमान में उपलब्ध पद
2-	संयुक्त निदेशक	03	रू0 37,400 67,000 ग्रेड पे रू0 8700/	वर्तमान में उपलब्ध 04 पदों में से 03 पदों को यथावत रखते हुए तथा 01 पद संयुक्त निदेशक को उच्चीकृत करें निदेशक (अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण)
3	उप निदेशक	08	रू0 15600–39100 ग्रेड पे रू0 7600/	वर्तमान में उपलब्ध 8 पदों को यथावत रखते हुए।
4	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/डी0आर0सी0	13	रू0 37,400 67,000 ग्रेड पे रू0 8700/	वर्तमान में उपलब्ध 13 पदों को उच्चीकृत कर संयुक्त निदेशक स्तर का किया गया है।

वर्तमान में उपप्राचार्य डायट के 10 पदों को महानिदेशालय एवं निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा में विभिन्न पदों में उच्चीकृत कर समायोजित किया जा रहा है। एस0सी0इ0आर0टी0 एवं डायट में वर्तमान में सृजित सहायक निदेशक/वरिष्ठ प्रवक्ता पद यााावत् रहेंगे जो शेक्षिक संवर्ग के पद होगें।

4 (iii), राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्था (सीमैट)

वर्तमान में राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थन (सीमैंट) में सृजित एक अपर निदेशक एवं दो विभागाध्यक्ष (संयुक्त निदेशक स्तर) के निःसंवर्गीय पद हैं इनके कार्यो एवं दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए इस संस्थान को बनाये रखना राज्य सरकार की बचनबद्धता है। अतः इस संस्थान के निम्न सृजित पदों को संवर्गीय किया है।

क्र0	पदनाम	संख्या	वेतन बैड/ग्रैड पे	अभ्युक्ति
1.	अपर निदेशक	01	रू0 37,400 67,000 ग्रेड पे रू0 8900/	वर्तमान में उपलब्ध निःसंवर्गीय पद को संवर्गीय किया गया है।
2.	विभागाध्यक्ष (संयुक्त निदेशक स्तर) (अ) नीति नियोजन एवं प्रबन्धन विभाग (ब) शोध मूल्यांकन एवं तकनीकी विभाग	02	रू0 37,400 67,000 ग्रेड पे रू0 8700/	वर्तमान में उपलब्ध 2 पदों को संवर्गीय किया गया है।

4(iv) **पूर्व उपलब्ध पदों एवं पुनर्गठन के पश्चात सृजित पदों का तुलनात्मक विवरण :–**

पूर्व स्वीकृत पद						एतद्द्वारा सृजित पद					
क्र0 सं0	पद एवं वेतनबैड/ग्रेड पे	विद्यालयी शिक्षा में वर्तमान पदों की संख्या	सीमैट में सृजित कुल पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या	महा निदेशालय	निदेशालय माध्यमिक	निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा	निदेशालय अकादमिक			कुल पद
								एससीईआरटी	सीमैंट	डायट	
1.	निदेशक स्तर 37,400–67000 ग्रेड पे. 10,000	1	0	1	0	1	1	1	0	0	3
2.	अपर निदेशक स्तर 37,400–67000 ग्रेड पे–8900	5	1	6	1	4	3	1	1	0	10
3.	संयुक्त निदेशक स्तर 37.400–67.000 ग्रेड पे 8700/	26	2	28	1	17	3	3	2	13	39
4.	उप निदेशक स्तर 15,600–39100 ग्रेड पे. 7600	67	0	67	1	22	17	8	0	0	48
5.	समूह क खण्ड शिक्षा अधिकारी/ समकक्ष पद 15.600–39100 ग्रेड पे–6600	––	––	––	––	97	––	––	––	––	97
6.	समूह 'ख' 15.600–39100 ग्रेड पे–5400	100	0	100	0	3	97	0	0	0	100
7.	उपखण्ड शिक्षाअधिकारी 9300–14.800 ग्रेड पे–4200	95	0	95	0	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	**294**	**3**	**297**	**3**	**144**	**121**	**13**	**3**	**13**	**297**

5(i) पुनर्गठित ढांचे में 297 संवर्गीय पद के अतिरिक्त 01 पद एम0आई0एस0 अधिकारी का निःसंवर्गीय पद महानिदेशालय में होगा।

5(ii) महानिदेशाालय (विद्यालयी शिक्षा) एवं निदेशालय (प्रारम्भिक शिक्षा) तथा निदेशालय (अकादमि, शोध एवं प्रशिक्षण) के गठन के फलस्वरूप वाहनसहित चालकों एवं चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के अतिरिक्त निम्नवत् सृजित पदोंको आउटसोर्सिग से भरा जायेगा :–

क्र0सं0	पदनाम	संख्या
1	चलक सहित वाहन	14
2	चतुर्थ श्रेणी	18

5(iii) उक्त प्रशासनिक संवर्ग के ढाचे के पुनर्गठन के पश्चात शैक्षिक एवं प्रशासनिकसंवर्ग पृथक–पृथक हो जायेंगे। प्रशासनिक संवर्ग के ढांचे के पदो ंके अतिरिक्त समस्त पद यथा प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका, राजकीय हाईस्कूल, प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, राजकीय इण्टर कालेज, सहायक निदेशक/वरिष्ठ प्रवक्ता एस0सी0ई0आर0टी0/डायट एवं शोध अधिकारी शेक्षिक संवर्ग के पद होंगे। शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग चयन हेतु विकल्प मांगे जाने है, जिसके लिए 01.01.2006 से पूर्व मौलिक रूप से नियुक्त राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य एवं प्रधानाचार्या से शैक्षिक अथवा प्रशासनिक संवर्ग चयन करने हेतु विकल्प लिया जायेगा। दिनांक 01.01.2006 या इसके पश्चात् नियुक्त/पदोन्नत राजकीय इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या स्वतः शैक्षिक संवर्ग के सदस्य होंगें। 01.01.2006 या उसके पश्चात् समूह 'क' में कार्यरत अधिकारियों को भी शैक्षिक अथवा प्रशासनिक संवर्ग में से किसी एक संवर्ग का चयन करने हेतु विकल्प प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जायेगा।

3. शिक्षणेत्तर कार्मिकों तथा लेखा संवर्ग के कार्मिकें का विभाजन कार्य को दृष्टिगत रखतेहुए विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर, मण्डल स्तर, तीनों निदेशालयों तथा महा निदेशालय में आवश्यकतानुसार कर शासन को एक माह के अन्दर अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें, जिससे प्रत्येक स्तर पर पृथक–पृथक इकाई के रूप में कार्य प्रारम्भ हो सके।
4. वर्तमान में संचालित कार्यालय भवनों में ही पृथक–पृथक इकाई के रूप में व्यवस्था करना सुनिश्चित करें।
5. उक्त नवीन पुनर्गठित ढॉचें में उप खण्ड शिक्षा अधिकारी पद मृत संवर्ग का हो गया है, वर्तमान में कार्यरत उप खण्ड शिक्षा अधिकारियों को समायोजन समान वेतनमान के उपलब्ध पदों तथा शोध अधिकारी अथवा अन्य पदों पर अर्हता/योग्यतानुसार किया जाना है। इनका समायोजन 15 दिन के अन्दर अपने स्तर से करते हुए शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
6. उक्त पदों पर भर्ती यथा समय सेवा नियमावली प्रख्यापन के उपरान्त की जायेंगी। प्रशासनिक तथा शैक्षिक संवर्ग की सेवा नियमावली प्रख्यापन हेतु प्रस्ताव एक माह के अन्दर पृथक–पृथक उपलब्ध करायें।
7. उक्त पद धारकों को शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित वेतन तथा अन्य भत्ते देय होंगे।
8. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 11 के अधीन प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु विकास खण्ड स्तर, जनपद स्तर, मण्डल स्तर, तीनों निदेशालयों, महानिदेशालय, एस0सी0ई0आर0टी0, सीमैंट एवं उत्तखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद पर प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष यााावत् किया जायेगा।
9. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सख्या 269 (पी)XXXVII–7/2011 दिनांक 10 जून, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

मनीषा पंवार
सचिव

संख्या–140 (1)/XXIV–2/11/6(5)/2008 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- निजी सचिव–मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4- प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5- युक्त गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6- समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
7- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8- अपर शिक्षा निदेशक, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9- अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद नरेन्द्रनगर, टिहरी।
10- सचिव, विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
11- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उततराखण्ड।
12- प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
13- प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14- वित्त (वे0आ0–सा0से) अनुभाग–7/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
15- मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–4 (घोषणा अनुभाग)।
16- शिक्षा अनुभाग–1/3/4/5 उत्तराखण्ड शासन।
17- अनुभागीय प्रति।

आज्ञा से

(कवीन्द्र सिंह)

संख्या–385 / xxiv–5 / 2005

प्रेषक,

मनीषा पवार,
सचिव,
उत्तराखंड शासन।

सेवा में,

निदेशक
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखंड देहरादून।

मा0 शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक 12 नवम्बर,2010

विषयः सूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी / विद्यालयी शिक्षा विभाग में नामित प्रथम अपीलीय अधिकारियों एवं लोक सूचना अधिकारियों की स्थिति में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकःसू0प्र0 / 916–9(11) / 62042रु2010–11, दिनांक 6 अक्टूबर,2010 के क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में दिये गये प्राविधानानुसार मुख्यालय स्तर / मण्डल स्तर / जिला स्तर / विकास खण्ड स्तर पर नामित अधिकारियों के सम्बन्ध में शासनादेष संख्या 130 / xxiv–2 / 2006, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 में संलग्न सूची के अनुसार संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव

लोक प्राधिकारी इकाईयों में लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों एवं विभागीय अपीलीय अधिकारियों के नामांकन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 130/xxiv–2/2006, दिनांक 8 सितम्बर, 2006 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में विवरणः

क्रम सं0	*लोक प्राधिकारी कार्यालय का नाम*	सहायक लोक सूचना अधिकारी	लोक सूचना अधिकारी	विभागीय अपीलीय अधिकारी
1	निदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड देहरादून	–	संयुक्त निदेशक (बेसिक)	अपर निदेशक (मुख्यालय)
2	कार्यालय अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल पौड़ी		संयुक्त निदेशक (द्वितीय)	अपर निदेशक गढ़वाल मण्डल
3	कार्यालय अपर निदेशक, कुंमायू मण्डल, नैनीताल		संयुक्त निदेशक (द्वितीय)	अपर निदेशक कुमायूं मण्डल
4	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड नरेन्द्रनगर टिहरी		संयुक्त निदेशक (द्वितीय)	अपर निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0
5	राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेंट)		विभागाध्यक्ष शोध एवं मूल्यांकन	अपर निदेशक राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमेंट)
6	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण		राज्य परियोजना प्रबन्धक	राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखंड
7	उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल		अपर सचिव	सचिव, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद
8	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा)		संयुक्त निदेशक, अकादमिक	अपर निदेशक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
9	समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखंड		अपर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपर जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)	जिला शिक्षा अधिकारी
10	समस्त जिला		जिला परियोजना	जिला शिक्षा

	परियोजना कार्यालय सर्व शिक्षा अभियान		अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान	अधिकारी
11	समस्त जिला परियोजना अधिकारी राष्ट्रीय अभियान		जिला परियोजना अधिकारी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	जिला शिक्षा अधिकारी
12	समस्त जिला साक्षरता समिति		सचिव, जिला साक्षरता समिति	राज्य परियोजना प्रबन्धक राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण
13	कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी	1– प्रधानाध्यापक रा0उ0मा0वि0 2–प्रधानाचार्य रा0इ0का0 3–प्रधानाचार्य राजीव गांधी नवोदय विद्यालय 4–प्रधानाचार्य डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय 5– प्रधानाचार्य कैन्ट बोर्ड द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य	खण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा अधिकारी